प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 19.07.2025

डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी से बचाव हेतु जनपद में विशेष साइबर जागरूकता अभियान के संबंध में।

जनपद में *डिजिटल अरेस्ट* एवं *साइबर ठगी* जैसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु **विशेष साइबर जागरूकता अभियान** संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल माध्यमों से हो रहे अपराधों जैसे फर्जी कॉल, लिंक शेयरिंग, ओटीपी/पिन ठगी, डिजिटल अरेस्ट आदि से बचाव हेतु सतर्क एवं सजग बनाना है।

उपरोक्त अभियान के क्रम में जनपद बिजनौर के समस्त थानों द्वारा थाना क्षेत्रों में स्कूल/कॉलेजों, नगर पालिकाओं/ग्राम सभाओ व सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर जाकर परस्पर संवाद, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि जैसे रचनात्मक सेशन आयोजित कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को साइबर अपराध (डिजिटल अरेस्ट व साइबर ठगी) के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्प लाइन नं0 1930 व वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी जा रही है।

COMPUTER EDUCATION
A UNIT OF - प्रेम मैमोरियल कल्याण शिक्षा समिति, धामपुर
Tally AutoCa

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना किरतपुर   दिनॉक 19.07.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 196/25 धारा 74/78/126(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.07.2025 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.07.2025 को अभियुक्तगण 1.फेसल पुत्र फुरकान 2.गुलबाज पुत्र अब्दुल सलाम 3. याशर पुत्र रिजवान निवासीगण ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को अश्लील इशारे किये तथा रास्ता रोककर जबरन छेडछाड की। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 196/25 धारा 74/78/126(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैसल पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. फैसल पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मुगलबेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री रवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी मोहसीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 19.07.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	सुरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जिला बिजनौर
2	रेहड	फौजी पुत्र उमराव सिंह नि0ग्रा0 केहरीपुर जंगल थाना रेहड जनपद बिजनौर
3	रेहड	देशराज सिंह पुत्र ब्रहमपाल सिंह नि0ग्रा0 दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
4	रेहड	ओमप्रकास पुत्र सरुप सिंह नि0ग्रा0 दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
5	रेहड	अमन पुत्र ओमप्रकाश नि0ग्रा0 दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
6	रेहड	अतुल पुत्र ओमप्रकाश नि0ग्रा0 दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
7	बढ़ापुर	बलजीत सिंह पुत्र स्व0 बूढ़ा सिंह नि0 चम्पतपुर चकला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
8	बढ़ापुर	जंगीर सिंह पुत्र बूढ़ सिंह नि0 चम्पतपुर चकला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
9	कोतवाली शहर	सचिन पुत्र नेतराम निवासी मौ0 नवाब का हत्ता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

yesterday
NOW
tomorrow

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 19.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 613/25 धारा 87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.05.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाया गया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर गुमशुदगी दर्ज की गयी जिसे दिनांक 17.07.2025 को गुमशुदगी को मु0अ0सं0 613/25 धारा 87 बीएनएस में तरमीम किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त इमरान पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम जीतपुर थाना छाबडा दाना जनपद मोतीहारी उर्फ चम्पारण पूर्वी, बिहार का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त इमरान पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम जीतपुर थाना छाबडा दाना जनपद मोतीहारी उर्फ चम्पारण पूर्वी, बिहार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इमरान पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम जीतपुर थाना छाबडा दाना जनपद मोतीहारी उर्फ चम्पारण पूर्वी, बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 19.07.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 254/25 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/191(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.07.2025 को वादी हिमांशु कुमार पुत्र मुनेश कुमार निवासी ग्राम जगदीशपुर उर्फ बाजोपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर अपने दोस्तो के साथ मोटरसाइकिल से लुकादडी जा रहा था तभी रास्ते में अभियुक्तगण 1.गुलशन पुत्र अमर सिंह 2.पंकज लालू धनौरा 3.सागर पुत्र पीयोम निवासी लालूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 03–04 अज्ञात लडके जो दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये और वादी हिमांशु उपरोक्त के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की और मारपीट का वीडियो बनाया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, उसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के वीडियों को वायरल कर दिया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 254/25 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त सागर पुत्र पीयोम निवासी लालू वाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.गुलशन पुत्र अमर सिंह 2.पंकज पुत्र जसराम निवासीगण ग्राम लालूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. गुलशन पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम लालूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. पंकज पुत्र जसराम निवासी ग्राम लालूवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 210 अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना अफजलगढ   दिनॉक 19.07.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को 01–01 अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.07.2025 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर जमाल उर्फ इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.लोकेन्द्र नाथ पुत्र चन्द्रपाल निवासी मौ0 सराय तुलसीराम कस्बा व थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर को 01–01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट – ***अभियुक्त लोकेन्द्र नाथ उपरोक्त थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर का हिस्ट्रीशीटर (61ए) अभियुक्त है और टॉप–10 अपराधी भी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ व बिजनौर के विभिन्न थानों पर 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।***

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.जितेन्द्र पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर जमाल उर्फ इनामपुरा थाना मण्डावर, बिजनौर
2.लोकेन्द्र नाथ पुत्र चन्द्रपाल नि0 मौ0 सराय तुलसीराम कस्बा व थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण–

02 अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभियुक्त लोकेन्द्र उपरोक्त–

1.मु0अ0सं0 378/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर
2.मु0अ0सं0 354/2020 धारा 307 भादवि थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर
3.मु0अ0सं0 296/2023 धारा 457/380/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
4.मु0अ0सं0 136/2024 धारा 458/380/411 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
5.मु0अ0सं0 135/2024 धारा 457/380/411 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट छपार मुजफ्फरनगर
6.मु0अ0सं0 320/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर
7.मु0अ0सं0 370/2021 धारा 392/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली

8.मु0अ0सं0 550/2021 धारा 392 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली
9.मु0अ0सं0 551/2021 धारा 307/401/380 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली
10.मु0अ0सं0 399/2016 धारा 380/307/511 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ
11.मु0अ0सं0 225/2015 धारा 398/401 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
12.मु0अ0सं0 256/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर
13.मु0अ0सं0 219/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त–

1. मु0अ0सं0 19/2015 धारा 395/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 57/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 266/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 1259 गौरव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 2544 मनीष कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा दिनॉक 19.07.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 333/115(2)/352/76/109(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.05.2025 को वादिया श्रीमति सीमा पत्नी नकुल कुमार निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.पवन कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह 2.रितिक पुत्र पवन कुमार 3.वितेश पुत्र पवन कुमार 4.प्रिया पुत्र पवन कुमार 5.अश्वनी पुत्री पवन कुमार निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया व वादिया के पति के साथ गाली गलौच कर मारपीट की गयी व वादिया के पति के सिर पर लोहे के सरिया से वार किया, जिससे वादिया के पति बेहोश हो गये व अभियुक्त पवन कुमार द्वारा वादिया के साथ अश्लील हरकते की। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 333/191(2)/191(3)/115(2)/352/76/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 191(2)/191(3)/110 बीएनएस का लोप कर धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.07.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रितिक पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. रितिक पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 297 नीटू राणा थाना स्योहार जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर   दिनॉक 19.07.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभारी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाहीः –

दिनांक 13.07.2022 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त एहतेशाम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम जमालपुर बांगर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी की धेवती के साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 226/22 धारा 376/511 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियोग में धारा 18 पॉक्सो अधि0 व 3(2)5(क) एससी,एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त एहतेशाम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम जमालपुर बांगर थाना नगीना जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग की धारा 18 पॉक्सो अधि0 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–

1– एहतेशाम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम जमालपुर बांगर थाना नगीना जनपद बिजनौर